



## दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

### South East Central Railway

मुख्यालय, कार्मिक विभाग, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, आर.टी. एम. कॉलोनी, बिलासपुर (ग. छ) 495004

HEADQUARTER, PERSONNEL DEPARTMENT, RAILWAY RECRUITMENT CELL, R.T.S. COLONY,  
BILASPUR (C.G.) 495004

रोजगार सूचना क्रमांक. पी-एच क्यू /आरआरसी/एसईसीआर/ खेल कोटा (ओपन विज्ञापन) /02/2024, दिनांक 21/09/2024

#### "खेल कोटा (ओपन विज्ञापन) के तहत वर्ष 2024-25 के लिए भर्ती"

1. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे वर्ष 2024-25 के लिए खेल कोटा (जैसा कि मद 2 में है) के 46 पदों (21 पद गुप 'सी' + 25 पद गुप 'डी') को भरने के लिए भारत के नागरिक पात्र खिलाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

#### अनुसूची

ऑनलाइन आवेदन के लिए खुलने की तिथि और समय	21/09/2024, प्रातः 10.00 बजे।
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और समय	20/10/2024, 23.59 बजे।

#### 2. पदों का विभाजन - खेल के अनुसार

##### (अ) लेवल - 5/4 (7वां सीपिसी)

श्रेणी संख्या	खेल के नाम	पुरुष/महिला	इवेंट/पोजीशन	पदों की संख्या
1.	एथलेटिक्स	पुरुष	लॉन्ग जंप	01
2.	वॉक्सिंग	पुरुष	60 किग्रा	01
3.	वॉक्सिंग	पुरुष	71 किग्रा	01
4.	हैंडबाल	महिला	पिवोट	01
5.	खो-खो	पुरुष	डिफेंडर	01
कुल				05 (पांच)

##### (ब) लेवल - 3/2 (7वां सीपिसी)

श्रेणी संख्या	खेल के नाम	पुरुष/महिला	इवेंट/पोजीशन	पदों की संख्या
1.	आर्चरी	महिला	रिकर्व	01
2.	एथलेटिक्स	पुरुष	हैमर थ्रो	01
3.	एथलेटिक्स	महिला	हैमर थ्रो	01
4.	बैडमिंटन	पुरुष	-----	01
5.	बैडमिंटन	महिला	-----	01
6.	बास्केटबॉल	पुरुष	पोस्ट	01
7.	क्रिकेट	पुरुष	आल-राउंडर	01
8.	हैंडबॉल	महिला	आल-राउंडर	01
9.	हॉकी	पुरुष	मिडफील्डर	01
10.	खो-खो	पुरुष	आल-राउंडर	01
11.	कबड्डी	पुरुष	राइट कोर्नर	01
12.	कबड्डी	पुरुष	लेफ्ट/राइट राइडर	01
13.	बॉडी विल्डिंग	पुरुष	65 किग्रा	01
14.	बेटलिफ्टिंग	महिला	64 किग्रा	01
15.	बेटलिफ्टिंग	पुरुष	67 किग्रा	01
16.	बेटलिफ्टिंग	पुरुष	96 किग्रा	01
कुल				16 (सोलह)

(स) लेवल - 1 (7वां सीपिसी)

श्रेणी संख्या	खेल के नाम	पुरुष/महिला	इवेंट/पोजीशन	पदों की संख्या
1.	एथलेटिक्स	महिला		
2.	एथलेटिक्स	महिला	20 किमी वॉकिंग	01
3.	बैडमिंटन	पुरुष	डिस्कस थ्रो	01
4.	बास्केटबॉल	पुरुष	-----	01
5.	बास्केटबॉल	महिला	आल-राउंडर	01
6.	क्रॉस कंट्री	पुरुष	पोस्ट	02
7.	क्रॉस कंट्री	महिला	10 किमी	01
8.	क्रिकेट	पुरुष	10 किमी	01
9.	क्रिकेट	पुरुष	आल-राउंडर	01
10.	क्रिकेट	पुरुष	मीडियम फास्ट बॉलर	01
11.	हॉकी	पुरुष	वैट्समेन	01
12.	हॉकी	पुरुष	गोल कीपर	01
13.	हॉकी	पुरुष	डिफेंडर	01
14.	कबड्डी	पुरुष	फॉरवर्ड	01
15.	फूटबॉल	पुरुष	आल-राउंडर	01
16.	फूटबॉल	पुरुष	स्ट्राइकर	01
17.	फूटबॉल	पुरुष	लेफ्ट विंग हाफ	01
18.	फूटबॉल	पुरुष	राइट विंग हाफ	01
19.	बॉलीबॉल	पुरुष	सेंटर बैक	01
20.	बॉलीबॉल	पुरुष	मिडिल ब्लाकर	01
21.	बॉडी विल्डिंग	पुरुष	आउटसाइड अटैकर	01
22.	बॉडी विल्डिंग	पुरुष	55 किग्रा	01
23.	वेटलिफ्टिंग	महिला	75 किग्रा	01
24.	वेटलिफ्टिंग	पुरुष	49 किग्रा	01
			109+ किग्रा	01
कुल				25 (पच्चीस)

नोट:-

- रेलवे प्रशासन रिक्तियों की संख्या में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है
- जिन खिलाड़ियों के पास उच्च ग्रेड वेतन के लिए खेल मानदंड हैं और जिन्होंने निम्न ग्रेड वेतन के रिक्तियों के लिए आवेदन किया है, उन्हें केवल निम्न ग्रेड वेतन में ही शामिल करने पर विचार किया जा सकता है और परीक्षण के समय उन्हें यह वचन देना होगा कि रेलवे में शामिल होने के बाद वे रेलवे में शामिल होने से पहले की खेल उपलब्धियों के आधार पर उच्च वेतन स्तर का दावा नहीं करेंगे।
- यदि पैरा 2 (अ) में उल्लिखित खेल के लिए पे लेवल- 5/4 के लिए उपयुक्त/पात्र उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो पे लेवल- 5/4 की इन रिक्तियों को उसी खेल अनुशासन में पे लेवल- 3/2 में डाउनग्रेड किया जा सकता है। जो खिलाड़ी पे लेवल- 3/2 के लिए पात्र हैं, वे पे लेवल- 5/4 के अधिसूचित खेल अनुशासन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनका अंतिम चयन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पदों के डाउनग्रेडिंग के अधीन होगा।

3. पात्रता शर्तें

3.1 आयु सीमा

01/01/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। केवल 01/01/2000 और 01/01/2007 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच पैदा हुए उम्मीदवारों को ही आवेदन करना चाहिए। 31/12/1999 को या उससे पहले जन्मे उम्मीदवार पात्र नहीं हैं। इसी प्रकार, 02/01/2007 को या उसके बाद जन्मे उम्मीदवार भी पात्र नहीं हैं। (किसी भी समुदाय के उम्मीदवार के लिए निचली या ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट नहीं)।

- जन्म तिथि के प्रमाण के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र की प्रति, या जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

### 3.2 शैक्षिक योग्यता:

लेवल	शैक्षिक योग्यता
5/4	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में न्यूनतम स्नातक।
3/2	12वीं (+2 परीक्षा) वा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या बैटिकुलेशन प्लस कोर्स पूर्ण एक असेटिमेंटिप उत्तीर्ण या बैटिकुलेशन प्लस आईटीआई उत्तीर्ण एनसीबीटी/एससीबीटी द्वारा अनुमोदित। या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण भी तकनीशियन -III के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हो सकते हैं। हालांकि, नियुक्त व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण अवधि 03 वर्ष होगी जब तक कि उनके पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई योग्यता उत्तीर्ण/पास नहीं करते, इस स्थिति में यह 06 महीने होगी। नोट: 1) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा को आईटीआई के मुकाबले वैकल्पिक उच्च योग्यता के रूप में नहीं माना जाएगा।
1	10वीं पास/आईटीआई वा समकक्ष

ध्यान दें: (i) यदि किसी व्यक्ति को क्लक-मह-टाइपिंग की श्रेणी में नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग दक्षता नियुक्ति की तारीख से चार माह की अवधि के भीतर परीक्षा प्राप्त करनी होगी और उस समय तक इस श्रेणी में उनकी नियुक्ति अंतिम होगी।  
(ii) उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को परीक्षण के समय स्नातक/स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।  
(iii) शुल्की विज्ञापन पत्रों के माध्यम से न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में कोई छूट अनुमत्य नहीं होगी।

### 3.3 खेल उपलब्धियाँ/पात्रता मानदंड:-

#### (क) पें लेवल- 5/4 के लिए

(क)	ओलिंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया (वरिष्ठ वर्ग)
(ख)	विश्व कप में कम से कम तीसरा स्थान (जूनियर/युव/सीनियर) वा
(ग)	विश्व बैटिकुलेशनशिप (जूनियर/सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान वा
(घ)	एशियाई खेलों (सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान वा
(ङ)	राष्ट्रमंडल खेलों (सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान वा
(च)	युव ओलिंपिक में कम से कम तीसरा स्थान वा
(छ)	बैटिकुलेशन टूर्नामेंट (हॉकी) में कम से कम तीसरा स्थान वा
(ज)	डेविम कप (टेनिस) में कम से कम तीसरा स्थान वा
(झ)	शॉमस/उबेर कप (बैटमिंटन) में कम से कम तीसरा स्थान

#### (ख) पें लेवल- 3/2 के लिए

(क)	विश्व कप (जूनियर/युव/सीनियर) में देश का प्रतिनिधित्व किया हो वा
(ख)	विश्व बैटिकुलेशनशिप (जूनियर/सीनियर) में देश का प्रतिनिधित्व किया हो वा
(ग)	एशियाई खेलों (सीनियर) में देश का प्रतिनिधित्व किया हो वा
(घ)	राष्ट्रमंडल खेलों (सीनियर) में देश का प्रतिनिधित्व किया हो वा
(ङ)	युव ओलिंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया हो वा
(च)	बैटिकुलेशन टूर्नामेंट (हॉकी) में देश का प्रतिनिधित्व किया हो वा वा
(छ)	डेविम कप (टेनिस) में देश का प्रतिनिधित्व किया हो वा
(ज)	शॉमस/उबेर कप (बैटमिंटन) में देश का प्रतिनिधित्व किया हो वा
(झ)	राष्ट्रमंडल बैटिकुलेशनशिप (जूनियर/सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान वा
(ञ)	एशियाई बैटिकुलेशनशिप/एशिया कप (जूनियर/सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान वा
(ट)	दक्षिण एशियाई फेडरेशन गेम्स (सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान वा
(ठ)	यूएसआईसी (विश्व रेलवे) बैटिकुलेशनशिप (सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान वा
(ड)	विश्व-विश्वविद्यालय खेलों में कम से कम तीसरा स्थान वा
(ढ)	सीनियर/युव/जूनियर राष्ट्रीय बैटिकुलेशनशिप में कम से कम तीसरा स्थान वा
(ण)	भारतीय ओलिंपिक संघ के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में कम से कम तीसरा स्थान वा
(त)	एनोमिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के तत्वाधान में आयोजित आन इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बैटिकुलेशनशिप में कम से कम तीसरा स्थान वा
(थ)	फेडरेशन कप बैटिकुलेशनशिप (सीनियर वर्ग) में प्रथम स्थान।

(स) पे लेवल- 1 के लिए

(क)	श्रेणी-"सी" चैंपियनशिप/इवेंट में से किसी में देश का प्रतिनिधित्व किया हो या
(ख)	फेडरेशन कप चैंपियनशिप (सीनियर वर्ग) में कम से कम तीसरा स्थान या
(ग)	समकक्ष इकाइयों के राज्य का प्रतिनिधित्व किया, मैराथन और क्रॉस कंट्री को छोड़कर केवल सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में कम से कम 8वें स्थान के साथ।

अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का बर्गीकरण

श्रेणी-ए: ओलंपिक खेल (सीनियर श्रेणी)

श्रेणी-बी: विश्व कप (जूनियर/सीनियर श्रेणी)

विश्व चैंपियनशिप/एशिया कप (जूनियर/सीनियर श्रेणी)

एशियाई खेल (सीनियर श्रेणी)

राष्ट्रमंडल खेल (सीनियर श्रेणी)

युवा ओलंपिक

डेविस कप ( टेनिस)

चैंपियंस ट्रॉफी (हॉकी)

थॉमस / उबेर कप (बैडमिंटन)

श्रेणी - सी: राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप (जूनियर/सीनियर श्रेणी)

एशियाई चैंपियनशिप/एशिया कप (जूनियर/सीनियर श्रेणी)

दक्षिण एशियाई महासंघ (एसएएफ) गेम्स (सीनियर श्रेणी)

यूएसआईसी ( विश्व रेलवे) चैंपियनशिप (वरिष्ठ वर्ग)

विश्व-विश्वविद्यालय खेल

4. कुछ खेलों के लिए अतिरिक्त स्वीकार्य खेल उपलब्धियों की पात्रता मानदंड नीचे अधिसूचित की गई है:-

4.1 एथलेटिक्स में, राष्ट्रीय अंतर-राज्यीय वरिष्ठ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रदर्शन को भी वेतन स्तर-2 वाले पदों पर भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है।

एथलेटिक्स में, ओपन नेशनल चैंपियनशिप (वरिष्ठ), अंतर-राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप (वरिष्ठ) और एशियाई चैंपियनशिप (वरिष्ठ) में स्वर्ण पदक विजेता को जीपी-2800/2400 में भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है।

4.2. बैडमिंटन, में खिलाड़ियों को उनकी वर्तमान वार्षिक अखिल भारतीय रैंकिंग के आधार पर, विभिन्न ग्रेड वेतन और वेतन बैंड में, निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है: -

भर्ती के लिए न्यूनतम खेल मानदंड			
पे लेवल	आयु वर्ग	इवेंट	वर्तमान वार्षिक अखिल भारतीय रैंकिंग
पे लेवल 3/2	सीनियर	सिंगल्स	20वें स्थान तक
		डबल्स	04वें स्थान तक
	यूथ	डबल्स	06वें स्थान तक
		जूनियर	डबल्स
पे लेवल-1	सीनियर	सिंगल्स	30वें स्थान तक
		डबल्स	06वें स्थान तक

इन उद्देश्यों के लिए केवल वर्तमान वार्षिक अखिल भारतीय रैंकिंग पर विचार किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए उच्चतम रैंकिंग को भर्ती के उद्देश्य के लिए एक वर्ष के लिए वैध माना जा सकता है। मिश्रित युगल में रैंकिंग केवल बैडमिंटन में मानी जाएगी, टेनिस और टेबल टेनिस में नहीं।

बैडमिंटन में, नीचे उल्लिखित विश्व रैंकिंग वाले खिलाड़ी उनके सामने उल्लिखित ग्रेड वेतन के लिए पात्र होंगे:

पे लेवल	आयु वर्ग	इवेंट	वर्तमान वार्षिक विश्व रैंकिंग
पे लेवल 3/2	सीनियर	सिंगल्स	70वें स्थान तक
	जूनियर	सिंगल्स	50वें स्थान तक

4.3. क्रिकेट (पुरुष और महिला) के लिए:- क्रिकेट में निम्नलिखित उपलब्धियों पर भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है:-

पे लेवल	न्यूनतम खेल मानदंड
जीपी-4200 (लेवल-6)	2 टेस्ट मैचों/सीमित ओवरों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों/ट्वेंटी-20 मैचों में मुख्य भारतीय सीनियर टीम में प्रतिनिधित्व।
जीपी-2800/2400 (लेवल-5/4)	2 टेस्ट मैचों/2 सीमित ओवरों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों/2 ट्वेंटी-20 ओवरों के मैचों में भारत-ए और भारत अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व।
जीपी-2000/1900 (लेवल-3/2)	(i) सीनियर/अंडर-23/अंडर-19 अखिल भारतीय अंतर राज्य समूह चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनलिस्ट (प्ले ट समूह को छोड़कर) या (ii) सीनियर/अंडर-23/अंडर-19 अखिल भारतीय अंतर-क्षेत्रीय चैंपियनशिप में भागीदारी। या (iii) सीनियर/अंडर-23/अंडर-19 चैलेंजर ट्रॉफी में भागीदारी।
जीपी-1800 (लेवल-1)	सीनियर/अंडर-23/अंडर-19 अखिल भारतीय अंतरराज्यीय चैंपियनशिप में प्री-क्वार्टर फाइनलिस्ट (प्ले ट ग्रुप को छोड़कर)

4.4. हॉकी (पुरुष) में: (i) वेतन स्तर-2/3 वाले पदों पर भर्ती के लिए, चार या अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट (वरिष्ठ/कनिष्ठ) में भागीदारी पर विचार किया जा सकता है।

(ii) वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मेमोफाइनलिस्ट को भी वेतन स्तर-2/3 में भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है।

खेल कोटा के तहत भारतीय रेलवे पर खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आरएसपीबी द्वारा मान्यता प्राप्त जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की सूची			
क्रमांक	खेल	मान्यता प्राप्त जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का विवरण	
		आयु-वर्ग	चैंपियनशिप का नाम
1	आर्चरी (पु.)	अंडर-19	जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप।
	आर्चरी (म.)	अंडर-19	जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप।
2	एथलेटिक्स (पु.)	अंडर-20	जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप।
	एथलेटिक्स (म.)	अंडर-20	जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप।
3	बैडमिंटन (म.)	अंडर-19	जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप।
	बैडमिंटन (पु.)	अंडर-19	जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप।
4	बास्केटबॉल (पु.)	अंडर-18	जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप।
	बास्केटबॉल (म.)	अंडर-18	जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप।
5	हैंडबॉल (म.)	अंडर-19	जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप।
6	हॉकी (पु.)	अंडर-21	जूनियर (अंडर 21) नेशनल हॉकी चैंपियनशिप।
7	खो-खो (पु.)	अंडर-18	जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप।
8	कबड्डी (पु.)	अंडर-20	जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप।
9	बॉक्सिंग (पु.)	अंडर-17	जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप।
10	बॉडी बिल्डिंग (पु.)	अंडर-21	जूनियर नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप।
11	क्रॉस कंट्री (पु.)	अंडर-20	जूनियर नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप।
	क्रॉस कंट्री (म.)	अंडर-20	जूनियर नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप।
12	क्रिकेट (पु.)	अंडर-23	कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी (इंटर स्टेट चैंपियनशिप)।
		अंडर-19	कच बिहार ट्रॉफी (इंटर स्टेट चैंपियनशिप)। वीनू मांकड़ ट्रॉफी (वन डे लिमिटेड ओवर इंटर स्टेट चैंपियनशिप)।
13	फुटबॉल (पु.)	अंडर-19	जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप वी.सी. राय ट्रॉफी के लिए।
14	बॉलीबॉल (पु.)	अंडर-19	जूनियर नेशनल बॉलीबॉल चैंपियनशिप।
15	वेटलिफ्टिंग (पु.)	अंडर-20	जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप।
	वेटलिफ्टिंग (म.)	अंडर-20	जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप।

नोट:- 1) ऊपर उल्लिखित सभी चैंपियनशिप मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य खेल महलकों के तत्वावधान में आयोजित की जानी चाहिए और रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

2) ऊपर बताए गए मानदंडों के लिए, हवल सीनियर नेशनल और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को ही ध्यान में रखा जाएगा। ग्रामीण मीट, फेस्टिवल मीट और अन्य समान टूर्नामेंट पर विचार नहीं किया जाएगा।

3) खेल प्रदर्शन का मूल्यांकन 01/04/2022 को या उसके बाद आयोजित खेल आयोजनों में भागीदारी के आधार पर किया जाएगा।

#### 5. चयन प्रक्रिया :-

भर्ती प्रक्रिया के लिए ई-कॉल लेटर अ (आरसी/एसईसीआर की वेबसाइट पर ट्रायल तिथि से 20 दिन पहले ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। कॉल लेटर डाक से नहीं भेजे जाएंगे। भर्ती से संबंधित सभी अपडेट [www.secr.indianrailways.gov.in](http://www.secr.indianrailways.gov.in) पर अपलोड किए जाएंगे। आवेदकों को समय-समय पर वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।

(i) ट्रायल का आयोजन: उम्मीदवारों का ट्रायल आयोजित किया जाएगा ताकि एस.ई.सी. रेलवे की टीम के लिए उनके खेल प्रदर्शन/उपयुक्तता का आकलन किया जा सके। ट्रायल में फिट पाए गए उम्मीदवारों को अगले चरण के चयन के लिए विचार किया जाएगा। ट्रायल के लिए अंकों का प्रारूप निम्नलिखित है:-

ट्रायल के लिए अधिकतम अंक : 40 अंक  
फिट उम्मीदवार : 25 अंक या उससे अधिक  
अनफिट उम्मीदवार : 25 अंक से कम

(ii) ट्रायल के बाद केवल फिट उम्मीदवारों का ही अगले चरण के लिए विचार किया जाएगा, यानी उन्हें खेल उपलब्धियों, शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक दिए जाएंगे। ट्रायल में अनफिट घोषित उम्मीदवारों को उनकी खेल उपलब्धियों और शैक्षणिक योग्यता के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। इस संबंध में उम्मीदवारों से कोई संवाद नहीं किया जाएगा।

(iii) अंकों का वितरण: - खेल उपलब्धियों/शैक्षणिक योग्यता के परीक्षण और मूल्यांकन में दिए जाने वाले अधिकतम अंक निम्नानुसार होंगे:-

क) परीक्षा के दौरान प्रदर्शन - :40 अंक  
ख) खेल उपलब्धियों का मूल्यांकन :50 अंक  
ग) शैक्षणिक योग्यता :10 अंक

= 100 अंक

नोट: शैक्षणिक योग्यता के लिए, जिस पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा है, उसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवार को छह अंक दिए जाएंगे। उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को अधिक अंक दिए जाएंगे।

(iv) अर्हक अंक:- विभिन्न ग्रेड वेतन में खुले विज्ञापन के माध्यम से भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हक अंक, निम्नानुसार होंगे:-

क्रम संख्या	पे बैंड कान/स्केल	ग्रेड पे	पे बैंड		न्यूनतम अर्हक अंक
			(रुपया में)		
(i)	पीवी-1	2800 (पे लेवल -5)	5,200-20,200		70 अंक
(ii)	पीबी-1	2400 (पे लेवल-4)	5,200-20,200		
(iii)	पीवी-1	2000 (पे लेवल-3)	5,200-20,200		65 अंक
(iv)	पीवी-1	1900 (पे लेवल-2)	5,200-20,200		
(v)	पीवी-1	1800 (पे लेवल-1)	5,200-20,200		60 अंक

नोट:- नियुक्ति का प्रस्ताव पूरी तरह से योग्यता के आधार पर दिया जाएगा। यदि एक से अधिक खिलाड़ियों ने समान अंक प्राप्त किए हैं, तो योग्यता तय करने के लिए यथा उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा निर्धारित ट्रायल स्थल बाध्यकारी और अंतिम होगा। उम्मीदवार द्वारा स्थल परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति से संबंधित सभी मामलों में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

**खिलाड़ियों की भर्ती के लिए सभी फील्ड ट्रायल की वीडियोग्राफी की जाएगी।**

## 6. आवेदन शुल्क:-

(i)	(i) नीचे उप-पैरा (ii) में उल्लिखित उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए।	₹.500/- (केवल पांच सौ रुपये), उन लोगों को जो अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाते हैं और वास्तव में ट्रायल में उपस्थित होते हैं, बैंक शुल्क काटने के बाद ₹.400/- रुपये (केवल चार सौ रुपये) वापस करने का प्रावधान है।
(ii)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग व्यक्तियों/महिलाओं/अल्पसंख्यक * और आर्थिक पिछड़े वर्ग** के उम्मीदवारों के लिए।	₹. 250/- (केवल दो सौ पचास रुपये), उन लोगों को बैंक शुल्क काटने के बाद वापस करने के प्रावधान के साथ जो अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाते हैं और वास्तव में ट्रायल में उपस्थित होते हैं। इस श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता अच्छी तरह से जांच लेनी चाहिए। जो उम्मीदवार अयोग्य हैं, लेकिन फिर भी आवेदन करते हैं, उनका शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

6.1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के भाग के रूप में शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा।

6.2. आवेदन पत्र में विवरण की शुद्धता सुनिश्चित करने के बाद, उम्मीदवारों को भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा जिसे ऑनलाइन आवेदन के साथ एकीकृत किया गया है। इसके बाद कोई परिवर्तन/संपादन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.3. स्क्रीन पर पृथी गई जानकारी प्रदान करके डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग आदि का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए लेनदेन शुल्क, यदि कोई हो, उम्मीदवारों द्वारा वहन किया जाएगा।

6.4. लेनदेन के सफल समापन पर, उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई तारीख के साथ ई-रसीद उत्पन्न की जाएगी जिसे उम्मीदवार द्वारा सहेजा/मुद्रित और रखा जाना चाहिए।

## 7. शुल्क छूट:-

7.1. आवेदन शुल्क से छूट/वापसी का दावा करने के लिए, अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को चयन परीक्षणों के समय अनुलग्नक-ए' में उल्लिखित 'स्वयं घोषणा' प्रस्तुत करनी होगी।

\*अल्पसंख्यक का अर्थ है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। आवेदन शुल्क से छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह उपरोक्त अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी से संबंधित है। यदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

7.2. \*\* आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) का मतलब वे उम्मीदवार होंगे जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 50,000/- रुपये से कम है।

निम्नलिखित प्राधिकारी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं:

- जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।
- अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के मौजूदा संसद सदस्य।
- किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी वीपीएल कार्ड या कोई अन्य प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी।
- केंद्रीय मंत्री देश में कहीं से भी किसी व्यक्ति के लिए सिफारिश कर सकते हैं।
- राज्य सभा के वर्तमान संसद सदस्य, उस जिले के व्यक्तियों के लिए जहां ये सांसद सामान्यतः रहते हैं। ऊपर उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया आय प्रमाणपत्र चयन परीक्षणों के समय प्रस्तुत किए जाने वाले "अनुबंध-बी" में होना चाहिए।

## 8. ऑनलाइन आवेदन:-

8.1. उम्मीदवारों को [www.secr. Indianrailways.gov.in](http://www.secr.Indianrailways.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

8.2. उम्मीदवारों को खेल कोटा के तहत भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए प्रदान की गई एसईसीआर कि वेबसाइट [www.secr. Indianrailways.gov.in](http://www.secr. Indianrailways.gov.in) पर लॉग इन करना होगा और व्यक्तिगत विवरण/बायोडाटा आदि सावधानीपूर्वक भरना होगा।

**नोट:-** उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के समय उम्मीदवारों को 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर भरना होगा। जिन उम्मीदवारों के पास आधार नंबर नहीं है और उन्होंने आधार के लिए नामांकन किया है, लेकिन उन्हें आधार कार्ड नहीं मिला है, वे आधार नामांकन पर्ची पर मुद्रित 28 अंकों का आधार कार्ड नामांकन आईडी प्रस्तुत कर सकते हैं। उपर्युक्त प्रावधान जम्मू और कश्मीर, मेघालय और असम राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों पर लागू है। इन राज्यों के

आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन में अपना मतदाता पहचान पत्र नंबर/वैध पासपोर्ट नंबर/डाइविंग लाइसेंस नंबर या कोई अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र नंबर दर्ज कर सकते हैं। चयन परीक्षण के समय उम्मीदवारों को मूल आधार कार्ड या ऊपर उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

**नोट-II:-** उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि शैक्षिक योग्यता, जन्मतिथि और खेल प्रमाण पत्र में दर्ज अनुसार बिल्कुल मेल खाना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के दौरान पाए गए किसी भी विचलन के कारण इस अधिसूचना के लिए उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। यदि उम्मीदवार ने अपना नाम बदल लिया है तो चयन परीक्षण/दस्तावेज सत्यापन के समय राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज, जैसा लागू हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में अपना बदला हुआ नाम बताना चाहिए। हालाँकि, अन्य विवरण शैक्षिक/जन्म तिथि/खेल प्रमाण पत्र से मेल खाना चाहिए। ऐसे परिवर्तन की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि से पहले की होनी चाहिए।

**नोट-III:-** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और वैध ई-मेल आईडी बताएं और उन्हें पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखें क्योंकि सभी महत्वपूर्ण संदेश ईमेल/एसएमएस द्वारा भेजे जाएंगे, जिन्हें **"अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया गया है"** माना जाएगा।

8.3. नाम/पिता का नाम/समूह/फोटो (चेहरा)/शैक्षणिक और/या तकनीकी योग्यता आदि या अलग-अलग ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर जैसे विभिन्न विवरणों के साथ एक ही विषय के लिए एक से अधिक आवेदन जमा करने का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे सभी आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे।

8.4. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान प्रत्येक आवेदक को एक पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों/आरआरसी के साथ पत्राचार के लिए अपना पंजीकरण नंबर सुरक्षित रखें/नोट करें।

**नोट-1:-** अंतिम समय की भीड़ में बचने के लिए, उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें, ताकि आखिरी दिनों में इंटरनेट या वेबसाइट जाम/भारी लोड के कारण आरआरसी/एसईसीआर की वेबसाइट पर लॉग इन करने में संभावित असमर्थता/विफलता से बचा जा सके।

**नोट-2:-** उपरोक्त कारणों या किसी अन्य कारण से अंतिम दिन के भीतर अपने आवेदन जमा नहीं कर पाने वाले उम्मीदवारों के लिए आरआरसी/एसईसीआर कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

8.5. उम्मीदवार को किसी भी आवेदन का प्रिंटआउट या प्रमाण पत्र या प्रतियां डाक द्वारा आरआरसी / एसईसीआर को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर केवल ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही विचार किया जाएगा, जो बाद की तारीख में सत्यापन के अधीन है। प्रस्तुत दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन में विशेष क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विचलन पाए जाने पर किसी भी स्तर पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

8.6. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन का प्रिंटआउट ले लें, जिसे चयन परीक्षण के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है।

8.7. उम्मीदवारों को अपना रंगीन फोटोग्राफ (आकार 3.5 सेमी x 3.5 सेमी, जो आवेदन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप, 100 डीपीआई, आकार) अपलोड करना आवश्यक है। फाइल 20 केबी-70 केबी के बीच होनी चाहिए, जिसमें उम्मीदवार का सामने का दृश्य बिना टोपी और धूप के चश्मे के स्पष्ट हो। उम्मीदवार ध्यान रखें कि आरआरसी/एसईसीआर, किसी भी स्तर पर, परानी/अस्पष्ट तस्वीर अपलोड करने या आवेदन पत्र में अपलोड की गई तस्वीर और उम्मीदवार की वास्तविक शारीरिक उपस्थिति के बीच किसी महत्वपूर्ण अंतर के लिए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बाद में दस्तावेज सत्यापन के समय लाने के लिए उम्मीदवार की दो अतिरिक्त प्रतियां अपने पास रखें।

8.8. उम्मीदवारों को अपने हस्ताक्षर (आकार 3.5 सेमी x 2.5 सेमी, जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप, 100 डीपीआई, फाइल का आकार 20 केबी से 30 केबी के बीच होना चाहिए) भी अपलोड करना होगा। स्कैन किए गए हस्ताक्षर ब्लॉक/वड़े अक्षर या असंबद्ध अक्षर में नहीं होने चाहिए।

8.9. आवेदन को ऑनलाइन जमा करने और प्रिंट करने में किसी भी समस्या के लिए उम्मीदवार [rrcbsp18@gmail.com](mailto:rrcbsp18@gmail.com) पर ईमेल के माध्यम से प्रश्न भेज सकते हैं।

8.10. लोक सेवा में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एक गंभीर मामला है। आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे पूरी गंभीरता से लेंगे। आवेदकों द्वारा गलत जानकारी देकर प्रक्रिया में हेरफेर करने या अश्लील/आपत्तिजनक तस्वीर अपलोड करके शरारत करने के किसी भी प्रयास से गंभीरता से निपटा जाएगा और वे अन्य प्रशासनिक कार्रवाई के अलावा आपराधिक कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

### 9. महत्वपूर्ण निर्देश:-

9.1. उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें:- उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पद के लिए उम्मीदवारों की पात्रता ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तय की जाएगी। यदि भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद, यह पाया जाता



- है कि उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत है या उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी छिपाई है या उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
- 9.2. ट्रायल के दिन जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता और खेल उपलब्धि आदि के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसके बिना उन्हें ट्रायल में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई प्रमाण पत्र अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में हो तो ऐसे प्रमाण पत्र अंग्रेजी/हिंदी में सत्यापित अनुवाद के साथ होना चाहिए। सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी स्वप्रमाणित होनी चाहिए। चयन परीक्षणों में उपस्थित होने के लिए कोई टीए/डीए/आवास नहीं दिया जाएगा। आवेदकों को अपनी किट और चार पासपोर्ट आकार की तस्वीरें भी लानी होंगी। उन्हें चयन परीक्षणों के दौरान 2-3 दिनों तक रुकने की भी आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए उन्हें अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। रेलवे प्रशासन के पास किसी भी तारीख/स्थान को तय करने या अप्रत्याशित कारणों से ट्रायल स्थगित करने या रद्द करने के सभी अधिकार सुरक्षित हैं, जिसके खिलाफ कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 9.3. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को अल्प सूचना पर ट्रायल आदि के लिए उपस्थित होने के लिए तैयार रहना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कहीं भी तैनात किया जाएगा।
- 9.4. आम तौर पर, एक रेलवे कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा के दौरान रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाएगा, जहां उसे पहली नियुक्ति पर तैनात किया गया है और उसके पास किसी अन्य रेलवे या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं होगा। हालांकि, सेवा की अत्यावश्यकताओं में, रेलवे कर्मचारी को भारत के अंदर या बाहर किसी परियोजना सहित किसी अन्य विभाग या डिवीजन/यूनिट या रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास होगा।
- 9.5. चयनित उम्मीदवारों को पद के लिए निर्धारित प्रशिक्षण से गुजरना होगा। अंतिम रूप से नियुक्त/चयनित पुरुष उम्मीदवार प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स यूनिट में सक्रिय सेवा के लिए उत्तरदायी हैं।
- 9.6. प्रारंभिक नियुक्ति पर परिलब्धियां उस समय स्वीकार्य वेतन के स्तर का न्यूनतम वेतन और अन्य भत्ते होंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल वजीफा जैसा लागू हो, भुगतान किया जाएगा। जहां भी आवश्यक हो, उम्मीदवारों को सुरक्षा जमा राशि देनी होगी और क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करना होगा।
- 9.7. इस अधिसूचना में दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और रेलवे प्रशासन की वास्तविक जरूरतों के आधार पर बाद के चरण में घट सकती है या शून्य भी हो सकती है। रेलवे प्रशासन अपने विवेक से अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है और ऐसा निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा। अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने की स्थिति में, उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- 9.8. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट में उत्तीर्ण होने, शैक्षिक और सामुदायिक प्रमाणपत्र के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है।
- 9.9. प्रतिभा खोज या खुले विज्ञापन के माध्यम से नियुक्त खिलाड़ी (पुरुष/महिला) को उस पद के लिए न्यूनतम चिकित्सा मानदंडों को पूरा करना होगा, जिसके लिए उसे नियुक्त किया जा रहा है।
- 9.10. एक से अधिक खेल के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को अलग-अलग शुल्क के साथ अलग-अलग आवेदन जमा करना होगा। हालांकि, वे एक ही खेल में एक से अधिक पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
- 9.11. वे उम्मीदवार, जो पहले से ही पीएसयू/सरकारी संगठनों की सेवा में हैं और उपरोक्त के लिए पात्र हैं, उन्हें परीक्षण के समय अपने नियोक्ता से इसके लिए "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना चाहिए।
- 9.12. भर्ती के सभी चरणों में उम्मीदवार का प्रवेश निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने की शर्त पर पूरी तरह से अनंतिम होगा। उम्मीदवार को केवल कॉल लेटर जारी करने का मतलब यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी गई है।
- 9.13. मान्यता प्राप्त संघों/संघों/विश्वविद्यालयों द्वारा टीम/समूह/रिले स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों को जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र में स्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार खिलाड़ी का पूरा नाम, जन्म तिथि, पिता/माता का नाम और इस भर्ती के लिए विचाराधीन स्पर्धा में खेल के मैदान में वास्तविक भागीदारी स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए। मैचों और परिणाम का विवरण, यदि कोई हो, भी दिया जाना चाहिए।
- 9.14. चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के समय 5 वर्ष का "सेवा बांड" भरकर जमा करना होगा।
- 9.15. यदि खेल कोटा के तहत भर्ती किए गए खिलाड़ी द्वारा भर्ती के लिए दी गई जानकारी और दस्तावेज किसी भी स्तर पर गलत/फर्जी पाए जाते हैं तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।
- 9.16. पात्रता, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति आदि से संबंधित सभी मामलों में चयन समिति/प्रशासन का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 9.17. अभ्यर्थियों को यह घोषित करना होगा कि:
- (i) उन पर NADA या WADA द्वारा डोपिंग का कोई मामला चल रहा या लंबित नहीं है।
- (ii) ट्रायल के दौरान यदि कोई बड़ी या छोटी चोट लगती है तो रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
10. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज (सुपाठ्य होने चाहिए):-

- 10.1. अधिसूचना के पैरा 3.2 में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मार्कशीट/प्रमाणपत्र या उसके समकक्ष की स्कैन की गई प्रति।
- 10.2. 01/04/2022 को या उसके बाद आयोजित मान्यता प्राप्त खेल उपलब्धि के प्रमाण में प्रमाण पत्र।
- 10.3. जन्म तिथि के प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र (एसएससी प्रमाण पत्र या जन्म तिथि दर्शाने वाली मार्कशीट या जन्म तिथि दर्शाने वाला स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र)।
- 10.4. एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति, जैसा की नीचे पैरा 12.3 में निर्धारित है।

#### 11. अमान्य आवेदन/अस्वीकृति:-

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले सभी निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें; अन्यथा उनके आवेदन निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से अस्वीकृत हो सकते हैं:

- 11.1. बिना स्कैन किए हस्ताक्षर/बड़े अक्षरों में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर के साथ आवेदन।
- 11.2. बिना स्कैन फोटो के आवेदन।
- 11.3. स्कैन की गई फोटो के साथ लेकिन चश्मा पहने हुए या टोपी के साथ या विकृत/छोटे आकार या पहचान में न आने योग्य आवेदन।
- 11.4. आवेदन जमा करने की तिथि पर पद के लिए निर्धारित शैक्षिक और खेल योग्यता नहीं रखते।
- 11.5. अधिक आयु या कम आयु, जन्म तिथि नहीं भरी गई या गलत भरी गई।
- 11.6. उम्मीदवार का नाम वर्जित सूची में शामिल है।
- 11.7. एक ही पद के लिए एकाधिक आवेदन/विभिन्न विवरण।
- 11.8. आवेदन शुल्क, रु. 500/- या रु. 250/- के बिना या कम शुल्क के साथ आवेदन। जहां भी लागू हो।
- 11.9. दो या दो से अधिक आयोजनों/खेलों के लिए एकल आवेदन।
- 11.10. किसी अन्य प्रकार की अनियमितता।

#### 12. सामान्य शर्तें:-

- 12.1. किसी भी रूप में सिफारिश करने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- 12.2. उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी से उचित प्रोफार्मा में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और चयन परीक्षण के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों के सत्यापन के लिए विवरणिका (भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित) के अध्याय 13 के अनुसार यह सख्ती से आवश्यक है।
- 12.3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की ज़ेरॉक्स कॉपी, जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो, ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड की जानी चाहिए। ओबीसी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के समय 01/04/2024 को या उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी केंद्र सरकार प्रारूप में ओबीसी गैर-क्रीमी-लेयर प्रमाणपत्र भी अपलोड करना होगा। प्रमाणपत्रों में जाति, जारी करने की तारीख आदि शामिल होनी चाहिए और जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर होनी चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए घोषणा पत्र का प्रारूप अनुबंध 'ए' है, आर्थिक रूप से पिछड़े आवेदकों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुबंध 'बी' है, एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुबंध 'सी' है, ओबीसी आवेदकों के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र फार्म का प्रारूप अनुलग्नक 'डी' के रूप में संलग्न है और ओबीसी आवेदकों के लिए घोषणा पत्र का प्रारूप अनुलग्नक 'ई' के रूप में संलग्न है।  
(एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप एसईसीआर वेबसाइट: [www.secr.Indianrailways.gov.in](http://www.secr.Indianrailways.gov.in) पर भी उपलब्ध है)

#### 13. अन्य मामले:-

- 13.1. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे चयन परीक्षण के समय अपने डाउनलोड किए गए आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। भर्ती के आगे के चरण में किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा और आरआरसी/एसईसीआर के पास भर्ती के किसी भी चरण में पात्रता शर्त/शर्तों को पूरा नहीं करने वाले किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 13.2. यदि पते में कोई परिवर्तन होता है, तो उम्मीदवार को अपने हित में पुराने पते से नए पते पर संचार के पुनर्निर्देशन के लिए संबंधित डाकघर से व्यवस्था करनी चाहिए।
- 13.3. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, मुफ्त पास जारी करना, गलत जानकारी के लिए जुर्माना, चयन का तरीका, परीक्षणों का संचालन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में रेलवे प्रशासन का निर्णय होगा। यह उम्मीदवारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी है और इस संबंध में रेलवे प्रशासन द्वारा किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 13.4. डाक में देरी या गलत डिलीवरी के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। रेलवे प्रशासन ई-मेल या एसएमएस की डिलीवरी में किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है। उम्मीदवारों को अपने स्पैम ई-मेल फ़ोल्डर भी जांचने चाहिए।
- 13.5. नियुक्ति के लिए अनुशासित उम्मीदवारों को चयनित पद के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा।
- 13.6. रेलवे प्रशासन भर्ती के किसी भी चरण में अनजाने में हुई त्रुटि या चूक को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है और गलती से नियुक्त किसी भी उम्मीदवार को रेलवे सेवा से तुरंत हटा दिया जाएगा।
- 13.7. मौजूदा नियमों के अनुसार इस अधिसूचना के नियमों और शर्तों में बाद में कोई भी बदलाव मान्य होगा। आरआरसी इस अधिसूचना के तहत आवश्यकता और लागू होने पर भर्ती के नियमों और शर्तों में किसी भी बाद के बदलाव/संशोधन/परिवर्धन को शामिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 13.8. इस भर्ती से संबंधित सभी मामलों में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का निर्णय अंतिम होगा।
- 13.9. खेल कोटे के तहत नियुक्ति पाने वाले सभी उम्मीदवारों को दो साल की परिवीक्षा अवधि से गुजरना होगा।
- 13.10. यदि खेल के आधार पर भर्ती किए गए किसी व्यक्ति का प्रदर्शन असंतोषजनक माना जाता है, तो परिवीक्षा अवधि अधिकतम दो साल तक बढ़ाई जाएगी और नियुक्ति में स्थायी होने के लिए व्यक्ति को अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। विस्तारित परिवीक्षा के बाद भी, यदि प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो विस्तारित परिवीक्षा के पूरा होने से पहले बर्खास्तगी के लिए सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- 13.11. खेल कोटे के तहत भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए "सेवा बांड" अवधि पांच साल की होगी। अपनी नियुक्ति के समय, खिलाड़ी को अनुलग्नक-IV के प्रारूप में बांड भरना होगा और उस पर हस्ताक्षर करना होगा।
- 13.12. व्याख्या के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

**14. कानूनी मामले:-**

इस रोजगार सूचना से उत्पन्न कोई भी कानूनी मामला केवल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बिलासपुर /जबलपुर के कानूनी क्षेत्राधिकार में आएगा।



अध्यक्ष

रेलवे भर्ती सेल,

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे/बिलासपुर

अनुसंलग्न:- अनुबंध 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' और ई

घोषणा

अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों की स्व-घोषणा

स्पोर्ट्स कोटा (खुली भर्ती) 2024-25 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के लिए आवेदन-पत्र जमा कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा शुल्क से छूट के लिए दावा हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा-पत्र का प्रारूप

मैं, \_\_\_\_\_ सुपुत्र/सुपुत्री श्री \_\_\_\_\_ निवासी  
गाँव/ \_\_\_\_\_ शहर/ \_\_\_\_\_ नगर \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य  
\_\_\_\_\_ एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं \_\_\_\_\_ (केंद्रीय सरकार द्वारा  
अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग दर्शाए यथा मुस्लिम/ सिख/ ईसाई/ बौद्ध/ जैन/ जोरोस्ट्रियन(पारसी) से संबद्ध रखता  
हूँ/ रखती हूँ।

तारीख :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर :

स्थान :

उम्मीदवार का नाम :

नोट : परीक्षा फीस की छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय गैर न्यायिक-स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय अ)र्थात् मुस्लिम/ सिख/ ईसाई/ बौद्ध/ जैन/ जोरोस्ट्रियन (पारसी) के अंतर्गत आता है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आय प्रमाणपत्र

स्पोर्ट्स कोटा (खुली भर्ती) 2024-25 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के लिए आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले घोषणाका प्रारूप पत्र-

1. उम्मीदवार का नाम: .....

2. पिता का नाम : .....

3. आय

: .....

4. आवासीय पता : .....

5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों व अंकों में) : .....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर :

नाम :

जारी करने वाले प्राधिकारी का मोहर :

नोट : आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का मतलब उस उम्मीदवार से है, जिसकी पारिवारिक आय रु. 50,000/- रुपए से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के प्रयोजन से आय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं :

1. जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के स्तर से ऊपर का राजस्व अधिकारी (2) लोकसभा के वर्तमान सांसद, उनके अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए (3) किसी गरीब उपशमन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या अन्य कोई प्रमाणपत्र या रेलवे द्वारा जारी इज़्ज़त एमएसटी (4) केंद्रीय मंत्री भारत में कहीं भी किसी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष/ रेलवे भर्ती बोर्ड को सिफारिश कर सकता है (5) उस जिले के व्यक्तियों के लिए, जहाँ राज्य सभा का वर्तमान सदस्य सामान्यतः निवास करता है।

अजा/अजजा/के लिए जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... पुपुत्र/पुपुत्री ..... गाँव/ शहर ..... जिला/ मंडल ..... राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र ..... जाति/ जनजाति से संबंधित है, जिसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के तहत मान्यता प्राप्त है :-

- \* संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.
- \* संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.
- \* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;
- \* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;
- [अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधित आदेश 1956, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित]
- \* संविधान (जम्मू व कश्मीर)\* अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- \* संविधान (अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह)\* अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित
- \* संविधान (दादर व नगर हवेली)\* अनुसूचित जाति आदेश, 1962.
- \* संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश, 1962
- \* संविधान (पुदुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- \* संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
- \* संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- \* संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- \* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970.
- \* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- \* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- \* संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989.
- \* संविधान (अजा) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- \* संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
- \* संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
- \* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- \* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002.
- \* अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

2. एक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के मामले में लागू।

यह प्रमाणपत्र श्री/ श्रीमती ..... पिता/ माता ..... के श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... निवासी ..... गाँव/ शहर ..... जिला/ मंडल ..... राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र ..... को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है, जो ..... जाति/ जनजाति से संबंधित है, जिसे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में दिनांक ..... से मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/ श्रीमती/ कुमारी\* और/ अथवा\* उमका\* परिवार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र ..... के ..... जिला/ मंडल ..... गाँव/ शहर\* में सामान्यतः निवास करता है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... पदनाम .....

(कार्यालय की मुहर सहित)  
राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र .....

\* जो लागू नहीं है, कृपया उसे काट दें।

@ कृपया विभिन्न राष्ट्रपति आदेश का हवाला दें।

% लागू न होने वाले पैराग्राफ को हटा दें।

नोट: (क) यहाँ इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यतः निवास" का अर्थ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही है। जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी।

1. जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ जिलाधीश/ उप आयुक्त/ अपर उप आयुक्त/ उप जिलाधीश/ प्रथम श्रेणी स्टाइपेंड्री मजिस्ट्रेट/ सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त। 2. चीफ प्रेमीटेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर चीफ प्रेमीटेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेमीटेंसी मजिस्ट्रेट। 3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से कम रैंक का न हो। 4. उम क्षेत्र का सब-डिविजनल अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और उमका परिवार सामान्यतः निवास करता है। 5. केंद्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो। 6. प्रशासक/ प्रशासक के मंचिव (सहायक), मिनिर्काय तथा अमीनदीवी द्वीप।

## ओबीसी प्रमाणपत्र प्रारूप

भारत सरकार के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी .....सुपुत्र/ सुपुत्री  
.....गाँव/ शहर.....जिला/ मंडल..... राज्य/ संघ राज्य  
क्षेत्र..... समुदाय से संबंध रखता है, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय व  
अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं. ....दिनांक ..... \* के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में  
मान्यता प्राप्त है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी\* .....और/ अथवा उसका परिवार  
.....राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के..... जिला/  
मंडल .....में सामान्यतः निवास करता/ करती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह  
भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना(एससीटी),  
दिनांक 8.9.1993 की अनुसूची के कॉलम संख्या 3 में वर्णित व्यक्ति/ वर्ग (क्रीमीलेयर) और भारत सरकार,  
कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना(आरईएस) दिनांक  
27.05.2013 तथा 13.09.2017\*\* द्वारा आशोधित, के अंतर्गत नहीं आता है।

दिनांक :

जिला मजिस्ट्रेट/ उप. आयुक्त आदि.

(मुहर)

\* प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्योरा देना होगा, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है।

\*\* समय-समय पर यथा संशोधित।

नोट : यहाँ इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यतः" का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही होगा।

घोषणा

अनलग्नक-६

स्पोर्ट्स कोटा (खुली भर्ती) 2024-25 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले घोषणापत्र का प्रारूप-

"मैं,.....सुपुत्र/सुपुत्री.....

श्री.....गाँव/शहर/.....जिला.....

राज्य.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं.....समुदाय

(अपनी उप-जाति का उल्लेख करें), जिसे कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना(एससीटी). दिनांक 8.9.1993 में अंतर्विष्ट आदेशों के अनुसार सेवा में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह भी घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन 08.03.1993 और उत्तरवर्ती कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना(आरईएस) दिनांक 27.05.2013 तथा 13.09.2017 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) के अंतर्गत नहीं आता हूँ।

स्थान :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक :

उम्मीदवार का नाम